



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



26 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 277 राँची, गुरुवार,

16 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

28 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-12/2021 का.--21295 (HRMS)--श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-721/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के विरुद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-188/स्था०, दिनांक 04.03.2021 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- दिनांक 29.01.2020 से लगातार कार्यालय/मुख्यालय से बिना छुट्टी स्वीकृत करायें अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात् निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के पत्रांक-836/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 07.09.2020 द्वारा एकमुश्त छुट्टी आवेदन पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। छुट्टी आवेदन पर किन्हीं भी पदाधिकारी का Initial नहीं किया गया है, जो निम्न प्रकार है-

दिनांक 29.01.2020 को मुख्यालय छोड़ना तथा दिनांक 30.01.2020 को मुख्यालय छोड़ने के साथ-साथ दिनांक 31.01.2020 से 08.02.2020 तक आकस्मिक अवकाश। दिनांक 09.02.2020 से 29.02.2020 तक उपार्जित अवकाश में पुनः दिनांक 01.03.2020 से 31.03.2020 तक उपार्जित अवकाश विस्तार हेतु आवेदन। दिनांक 01.04.2020 से 31.05.2020 तक उपार्जित अवकाश। दिनांक 01.06.2020 से 31.07.2020 तक उपार्जित अवकाश। दिनांक 01.08.2020 से 30.09.2020 तक उपार्जित अवकाश ।

श्री सिंह द्वारा अवकाश आवेदन एकमुश्त कार्यालय में पत्र के माध्यम से भेजा गया है, जो झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-152 “छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता। यदि लोक सेवा के लिए नितान्त आवश्यक हो, तो छुट्टी देने के लिए शक्तिमान प्राधिकारी अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी अस्वीकृत या रद्द कर सकता है” का उल्लंघन किया गया है, जो गंभीर मामला है। इनका इस तरह का व्यवहार स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का द्योतक है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2908, दिनांक 02.07.2021 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री सिंह के पत्रांक-133, दिनांक 10.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

3. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-22660(HRMS), दिनांक 21.07.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-123 दिनांक-12.01.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

4. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच की समीक्षा की गयी।

5. अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-721/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRABHAKAR KUMAR SINGH BHR/BAS/3383	श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-721/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
